दिनांक 07 फरवरी, 2024 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित सीप्ज सेज की अनुमोदन समिति की 183वीं बैठक का कार्यवृत्त

MINUTES OF 183rd MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR SEEPZ SEZ HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER ON 07th FEBRUARY, 2024.

तेज का नाम Name of the SEZ		
बैठक संख्या	183 वीं	
दिनांक	07.02.2024	
<u> उपस्थित सदस्यों के नाम:</u>	Members Present	

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पदनाम	संस्था
Sr. No.	Name of Members	Designation	Organization
1.	श्री. सी. पी. एस. चौहान Shri. C. P. S. Chauhan	सयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissi oner	SEEPZ-SEZ.
2	श्री. लीडर पणिक्कर Shri. Leider Panicker	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Com missioner Income Tax	आयकर कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Income Tax office,]
3	श्री. हिमांशु धर पांडे Shri. Himanshu Dhar Pandey		डीजीएफटी के अतिरिक्त नामांकित व्यक्ति, : ई। Nominee of the Addl. DGFT, Mı
4	श्रीमती कीर्ति देशमुख Smt. Kirti Deshmukh	उप निदेशक उद्योग Deputy Direc tor Industries	
5	श्रीमती सुनीता जगताप Smt. Sunita Jagtap	अधीक्षक सीमा शुल्क Superinten dent of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सा Nominee of Commissioner of C eneral, Air Cargo, Sahar.

<u>विशेष आमंत्रित सदस्य :</u>	Special Invitee:-	
	Shri. Anil Chaudhary	
विनिर्दिष्ट अधिकारी सीप्ज़-सेज़	Specified Officer, SEEPZ-SEZ	

श्री इनीश राठी, सहायक विकास आयुक्त (सीप्ज़-सेज़), श्री मनीष कुमार, सहायक विकास आयुक्त (न्यू-सेज़), श्रीमती रेखा नायर, स हायक विकास आयुक्त (न्यू-सेज़), श्रीमती रेखा नायर, स हायक विकास आयुक्त, श्री जीएस भंडारी, सहायक, श्री रवींद्र कुमा र, सहायक, सुश्री दिव्यांशी गोयल अवर श्रेणी लिपिक, श्री अशोक मीना, अवर श्रेणी लिपिक और श्री जगदीश गौड, अवर श्रेणी लिपि क भी बैठक में सहायता और सुचारू संचालन के लिए उपस्थित थे।

कार्यसूची मद सं. 01: 20.12.2023 को आयोजित 18 2वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

Agenda Item No. 01: Confirmation of the M inutes of the 182nd Meeting held on 20.12.2 023.

<u>निर्णय:</u> दिनांक 20.12.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

Decision: The Minutes of the meeting held on 20 .12.2023 were confirmed with consensus.

कार्यसूची मद सं. 02: मेसर्स क्रिएशन ज्वेलरी मैन्युफैक्वरिं <u>Agenda Item No. 02</u>: Application for Chang e of Entrepreneurship on account of ग प्राइवेट लिमिटेड यूनिट - I और II से मेसर्स क्रिएशन Business Transfer Agreement from M/s. Cr जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड यूनिट I और II में बिeation Jewellery Mfg. Pvt. Ltd Unit – I & II जनेस ट्रांसफर समझौते के कारण निदेशकों और शेयरधारि into M/s. Creation Gems & Jewellery Privat ता पैटर्न में बदलाव के साथ उद्यमिता में बदलाव के लिए आe Limited Unit I & Unit – II with Change in the Directors and shareholding pattern.

281

यूनिट ने उद्यमिता में बदलाव और मेसर्स क्रिएशन ज्वेलरी मैन्युफैक् The unit submitted the application for Change of E चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यूनिट - I और II की संपत्तियों और देनदा ntrepreneurship and transfer of assets and liabilit रियों को मेसर्स क्रिएशन जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड यूनिट ies of M/s. Creation Jewellery Mfg. Pvt. Ltd Unit – I & II into M/s. Creation Gems & Jewellery Privat I और यूनिट - II में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत क e Limited Unit I & Unit – II. They have informed t िया। उन्होंने सूचित किया है कि क्रिएशन ज्वेलरी मैन्युफैक्वरिंग प् hat Creations Jewellery Mfg. Pvt. Ltd (the Transfer राइवेट लिमिटेड (अंतरणकर्ता)) ने क्रिएशन ज्वेलरी का विस्तार क or) has decided to Transfer their SEEPZ SEZ divisi on business (of Manufacture and export of diamon रने के उद्देश्य से अपने सीप्ज़-सेज़ डिवीजन के (हीरे जड़ित आभूषd studded jewellery) to Creations Gems & Jeweller णों के निर्माण और निर्यात का) व्यवसाय को क्रिएशन जेम्स एंड ज्वे y Pvt. Ltd. (the Transferee) for the purpose of expa नरी प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिती) में स्थानांतरित करने का निर्णय g participation from well-established overseas com लिया है। क्रिएशन ज्वेलरी द्वारा, विदेशी/ख़दरा क्षेत्र में अच्छी तरह panies in the overseas/retail sector to have a tie-से स्थापित विदेशी कंपनियों से भागीदारी को आमंत्रित करके, उनके up for manufacturing their products under their Br व्यापक पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के तहत अपने उत्पादों के निर्माण oad supervision and guidance and therefore, settin के लिए एक गठजोड़ किया गया है और इसलिए, अंतरिती की स्था g- up the Transferee wherein the foreign participan पना की गई है जिसमें विदेशी प्रतिभागी पूंजी में निवेश कर सकते हैं। ts can invest in the capital and therefore M/s. Cre पनी को गई है जिसमें विदेशी प्रतिमाग पूजी में निवेश कर सकते हैं। इसलिए मेसर्स क्रिएशन ज्वेलरी मैन्युफैक्वरिंग प्राइवेट लिमिटेड यून ation Jewellery Mfg. Pvt. Ltd Unit – I & II into M/s िट - I और II को मेसर्स क्रिएशन जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लि & Unit – II with Change in the Directors and share मिटेड युनिट I और युनिट - II में शेयरधारिता पैटर्न के साथ निदेholding pattern on business transfer agreement. शकों में बदलाव और व्यापार हस्तांतरण करार करने का निर्णय लि या है।

यम 19(2) के संदर्भ में, सेज़ नियम, 2006 के नियम 74 ए के स् 6 read with Rule 74 A of SEZ Rules 2006. ाथ पठित के आधार पर मेसर्स क्रिएशन जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवे ट लिमिटेड यूनिट I और यूनिट - II में स्थानांतरित करने के प्रस् ताव को मंजरी दे दी।

Decision: After deliberation, the Committee appr oved the proposal for Change in Entrepreneur and निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने उद्यमता में बदलाव और मे transfer of assets and liabilities of M/s. Creation Jewellery Mfg. Pvt. Ltd Unit – I & II into M/s. Crea सर्स क्रिएशन ज्वेलरी मैन्युफैक्वरिंग प्राइवेट लिमिटेड यूनिट - I tion Gems & Jewellery Private Limited Unit I & Un और II की संपत्तियों और देनदारियों को सेज़ नियम, 2006 के नि it - II in terms of Rule 19 (2) of the SEZ Rules 200

कार्यसूची मद सं. 03: क्षमता वृद्धि के साथ व्यापारिक गति Agenda Item No. 03 : Application received fr विधि की व्यापक बैंडिंग के लिए मेसर्स आशिर सर्विसेज प्राइ om M/s. Ashir Services Pvt. Ltd for broad b anding of trading activity with Capacity Enh वेट लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ।

यूनिट ने 3 साल की शेष अवधि यानी 2023-24 से 2025-26 कें लिए संशोधित अनुमान के साथ क्षमता वृद्धि के साथ व्यापारिक The unit submitted the application for broad ban विवरण निम्नानुसार है:

ancement.

गतिविधि के ब्रॉड बैंडिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और कार्यसू ding of trading activity with Capacity Enhanceme ची के अनुसार व्यापारिक गतिविधि के लिए प्रस्तावित वस्तुओं का nt with revised projection for remaining period of 3 years i.e. 2023-24 to 2025-26 and the details of proposed items for trading activity as per agenda as under :

> They have conveyed that as per directions of Appro val Committee they would delete ONE item from t

उन्होंने बताया है कि अनुमोदन समिति के निर्देशों के अनुसार दे मौ he existing list i.e. 'HALLMARKING' and they have जूदा सूची से एक आइटम यानी 'हॉलमार्किंग' हटा देंगे और उन्होंने also requested for trading activity with capacity en क्षमता वृद्धि के साथ व्यापारिक गतिविधि के लिए भी अनुरोध किया hancement. \$F

tel.

<u>सेवा गतिविधि की मौजूदा अनुमोदित मर्दे :-EXISTING APPROVED ITEMS OF SERVICE ACTIVITY :-</u>

Sr. No. Description of the items	स्वीकृत क्षमता (नग) Approved Capacity (Pieces)
01 एसेइंग, हॉलमाकिंग, स्टॅंपिंग, प्लेटिंग, परीक्षण आदि Assaying, Hallmarking, Stamping, Pl ating, Testing etc	214000.00

<u>ट्रेडिंग गतिविधि के लिए प्रस्तावित ब्रॉड बैंडिंग आइटम :-</u>

PROPOSED BROAD BANDING ITEM FOR TRADING ACTIVITY :-

क्रमांक Sr. No	वस्तुओं का विवरण Description of the items	प्रस्तावित क्षमता <i>Proposed Capac</i>	क्षमता <u>Propo</u>	आईटीसी (एचएस) वर्ग ीकरण <i>ITC (HS)</i>
		ity	<u>ty</u>	<u>Classification</u>
01	एसेइंग, स्टैंपिंग, प्लेटिंग, परीक्षण आदि Assaying, Stamping, Plating, Testing etc	Pieces	200000.00	7113
02	सोने की ढलाई, चांदी के आभूषण, सोने की खोज, सोने की चेन, प्लैटिनम आभूषण Gold Casting, Silver Jewellery, Gold Findings, Gold Chains, Platinum Je wellery	U S Dollar \$	1363640	7113
03	आभूषण बनाने में विभिन्न मिश्रधातुओं का उपयोग Various alloy used in Jewellery mak ing		200.00	7113
04	आभूषण बनाने में प्रयुक्त बहुमूल्य धातु (चांदी और प लैटिनम) का पता लगाना Precious Metal finding used in jewellery makin g (Silver & Platinum)		200.00	7113
05	आभूषण बनाने में प्रयुक्त मशीनरी और पुर्जे Mach inery and Spares used in jewelle ry making	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	50.00	7113
06	उत्कीर्णन या बनाने की मशीन और उसके घटक अ र स्पेयर पार्ट्स Engraving or making machine and its components & spares parts	U S Dollar \$	50.00	7113
07	आमूषण बनाने में उपयोग किए जाने वाले गैर खत नाक रसायन (रोडियम, सोना और चांदी की प्लेटिंग करने के लिए) Non Hazardous chem cals used in jewellery making Rhodium, Gold & silver Plating Solution)	r U S Dollar \$ i (4539375.00	7113
08	आभूषण निर्माण में प्रयुक्त सभी प्रकार के वैक्स Al types of wax used in jewellery making] अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	25.00	7113

ì

ı

09	आभूषण निर्माण में प्रयुक्त सभी प्रकार के निवेश पाउ डर	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	75.00	7113
	All types of investment powder	0 0 Donai φ		
	used in jewellery making			
10	आभूषण बनाने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के फा इलिंग और पॉलिशिंग उपकरण और सहायक उपकर ण	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	10.00	7113
	All types of filing & polishing t			
	ools and accessories required f			
	or jewellery making			
11	आभूषण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के हाथ के उपकरण	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	10.00	7113
	All types of hand tools used for			
	jewellery making			
12	आभूषण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के सिलिकॉन रबर और अन्य टबर All ty	U S Dollar \$	10.00	7113
	pes of Silicone rubber and other			
	tubber used for jewellery makin			
	g			
13	एनविज़नटेक उपभोग्य वस्तुएं जैसे रेज़िन, लैंप, ट्रे, फ़िल्टर	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	15.00	7113
	Envisiontec consumables such a			
	s resin, lamps, trays, filters			
14	एनविज़नटेक रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन और उसके घटक	U S Dollar \$	25.00	7113
	Envisiontec rapid protyping mac			
	hine and its components			
15	असेंबली और मरम्मत के लिए आवश्यक वजन तरा जू के घटक और स्पेयर पार्ट्स	U S Dollar \$	10.00	7113
	Weighting scales components a			
	nd spares parts required for asse			
	mbly & Repairing			
16	आभूषण बनाने, घटकों और सप्रे भागों में जपयोग कि ए जाने वाले डिजिटल वजन तराजू	U S Dollar \$	25.00	7113
	Digital Weighting scales used i			
	n jewellery making, component			
	s and sapre parts आभूषण निर्माण के लिए कीमती धातु आधारित मि		80.00	7112
17	अभूषण निर्माण के लिए कामता चातु आधारत नि श्र धातु Precious metal based alloy		80.00	7113
	for jewellery mfg	1105		
18	आभूषण निर्माण के लिए गैर-कीमती धातु आधारित	संख्या	75.00	7113
10	मिश्र धातु	Nos		
	Non-precious metal based alloy			
	for jewellery mfg			7110
19	सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम ज्वैलर के नि मांण के लिए कीमती धातु युक्त सोल्डर	सख्या भारत व	80.00	7113
	Solder containing Precious met			
	al for mfg of Gold, Silver, Plati			
	num & Palladium Jeweler			
	ACCREA OF A COARCONCENTER OF THE ACA			

for syn

			75.00	7113
0	सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम ज्वैलर के नि	સરવા NTag	75.00	1110
	माण के लिए गैर-कीमती धातु युक्त सोल्डर न Sold	INOS		
	er containing Non-Precious met			
	al for mfg of Gold, Silver, Plati			
	num & Palladium Jeweler			
21	कीमती धातुओं की फिटिंग और फाइंडिंग, शीट, तार		90.00	7113
	और ट्यूब Fitting & Findings, sheets, wire	Nos		
	s and Tubes of Precious Metals			
		संख्या	85.00	7113
22		Nos		
			100.00	7113
23	Precious Metal Chains			
		Nos		
24	अर्ध-तैयार उत्पाद शीट	संख्या	70.00	7113
~ '	Semi Finished Products Sheet	Nos		
25	अर्ध-तैयार उत्पाद तार	संख्या	70.00	7113
23	Semi Finished Products Wire			
	Semi Finished Fioduets whe	Nos		
26	अर्ध-तैयार जत्पाद ट्यूब	संख्या	70.00	7113
	Semi Finished Products Tube	Nos		
27	प्लैटिनम चढाने वाले रसायन	ग्राम	5000.00	7112
41	Platinum Plating Chemicals	Grams		
28	पैलेडियम चढ़ाने वाले रसायन	ग्राम	3000.00	7110
20	Palladium Plating Chemicals	Grams		
29	रूथेनियम चढ़ाने वाले रसायन	ग्राम	2000.00	7110
	Ruthenium Plating Chemicals	Grams		
30	कांस्य चढ़ाने वाले रसायन	ग्राम	7000.00	7409
	Bronze Plating Chemicals	Grams		
31	एंटी-टर्निश रसायन	ग्राम	1000.00	8479
	Anti-tarnish Chemicals	Grams		
32	कीमती धातु स्ट्रिपर्स	ग्राम	2500.00	8448
	Precious Metal Strippers	Grams		
33	एनोड	ग्राम	500.00	7402
	Anodes	Grams		
34	बहुमूल्य मेटल सॉल्ट	ग्राम	3500.00	3815
	Precious Metal Salts	Grams		7110
35	सोना और कीमती धातु पुनर्प्राप्ति संयंत्र और रसायन		50.00	7112
	रेज़िन	Grams		
	Gold & Precious Metal recover	r.		
ļ	y plants & Chemicals/ resins		1200.00	8421
36	<u>पूर्व सफाई रसायन</u> Bro cleaning chemicals	ग्राम Grams	1200.00	0741
	Pre-cleaning chemicals इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीने एवं पुर्जे	जात्तााड ग्राम	150.00	8543
37	Electroplating machines & spa		100.00	
120	es रेक्टिफायर्स	ग्राम	150.00	8504
30				
38	रीक्टेफायस Rectifiers	ज्ञाम Grams	150.00	0004

1/1

निर्णयः

Decision:

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड़ नियम, 2006 के नियम 19 (2) के प्रावधान के अनुसार क्षमता वृद्धि और 2023-24 से 2025-26 की शेष अवधि के लिए अनुमान के संशोधन के साथ व्यापार गतिविधि के बॉडवैंडिंग के प्रस्त of proviso of Rule 19 (2) of SEZ Rules, 2006. ाव को मंजूरी दी।

The Committee also directed to the unit that t समिति ने इकाई को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी he trading activity of bullion in any form is permissibl रूप में सराफा की व्यापारिक गतिविधि केवल SEEP e only within the SEEPZ-SEZ. Z-SEZ के भीतर ही स्वीकार्य है।

कार्यसूची मद सं. 4: तीसरे पक्ष की मरम्मत की अनुमति <u>Agenda Item No. 4:</u> Application received from के लिए मेसर्स शिमायरा ज्वेलरी से आवेदन प्राप्त हुआ। hird Party Repair<u>.</u>

यूनिट ने एजेंडे में दिए गए विवरण के अनुसार तीसरे पक्ष की मरम् The unit submitted application for permission for T मत की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। hird Party Repair as per the details given in agenda.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्देश संख्या 51 दिनांक <u>Decision:</u> After deliberation, the Committee appro ित के अनुपालन के अधीन तीसरे पक्ष की मरम्मत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 01/2010 दिनांकित सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2010 के साथ पढ़ा गया। समिति ने दिनांक 08.04.2010 को इस आशय का शुद्धिपत्र और दिनांक 26.04.2010 को इस आशय का शुद्धिपत्र प्रस्तुत किया और समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी र to furnish a report on the devised implementation , एसईईपीजेड-एसईजेड को निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.03.2 010 के संदर्भ में तृतीय पक्ष मरम्मत के संबंध में तैयार किए गए 51 dated 25.03.2010.

कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

i. वस्तुओं का आयात केवल मरम्मत और पुनः निर्यात के उ हेश्य से होगा।

ii. आयातित आभूषणों की मूल पहचान नहीं बदलेगी। iii. मरम्मत आवंटित परिसर के भीतर की जाएगी

iv. मरम्मत के लिए आयात किए जाने वाले और अंततः नि र्यात किए जाने वाले आभूषणों का उचित विस्तृत विवरण सीमा शुल्क को दिया जाएगा।

v. पहचान स्थापित करने के लिए आयात के साथ-साथ निर्य ात के समय सीप्ज़ सीमा शुल्क द्वारा 100% जांच की जा एगी।

vi. गतिविधि दिनांक 25.03.2008 के एलओए के संबंध में निर्यात के पिछले वर्ष के एफओबी मूल्य के 5% तक सीमि त रहेगी।

vii. सेज़ अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उसके तहत बनाए गए आदेश का अनुपालन किया जाएगा। viii. दी गई अनुमति समीक्षा के अधीन होगी।

- The import of the items will only be for the purpose of repairs and re-export onl y.
- ii. The basic identity of the jewellery imported shall not change.
- iii. The repairs will be carried out within th e allotted premises
- iv. Proper detailed description of the jewell ery to be imported for repairs and event ually exported shall be given to the Cust oms.
- v. 100% examination shall be carried by S EEPZ Customs at the time of imports a s well as exports of the same to establis h identity
- vi. The activity will be restricted to 5% of previous year FOB value of export in re spect of LOA dated 25.03.2008.
- vii. The provisions of SEZ Act, Rules and o rder made thereunder shall be complied.
- viji. The permission granted will be subject t o review.

कार्यसूची मद सं. 5: तीसरे पक्ष की मरम्मत की अनुमति <u>Agenda Item No. 5:</u> Application received fro m M/s. Neysa Jewellery Limited (Unit-II) for के लिए मेसर्स नेसा ज्वेलरी लिमिटेड (यूनिट- II) से प्रा permission for Third Party Repair स आवेदन

यूनिट ने एजेंडे में दिए गए विवरण के अनुसार तीसरे पक्ष की मरम् The unit submitted application for permission for T मत की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। hird Party Repair as per the details given in agenda.

X

<u>निर्णय</u>: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्देश संख्या 51 दिनां <u>Decision</u>: After deliberation, the Committee appro कित के अनुपालन के अधीन तीसरे पक्ष की मरम्मत के प्रस्ताव ved the proposal for Third Party Repair subject to co को मंजूरी दे दी। 01/2010 दिनांकित सार्वजनिक सूचना संख्या mpliance of Instruction no. 51 dated. 25.03.2010 re 01/2010 के साथ पढ़ा गया। समिति ने दिनांक 08-04-201 ad with Public Notice no. 01/2010 dated 08.04.2010 0 से इस आशय का शुद्धिपत्र जारी किया था और समिति ने निम् नलिखित निदेश भी दिए थे –

- विनिर्दिष्ट अधिकारी, एसईईपीजेड-एसईजेड निर्देश संख्या 51
 दिनांक 25.03.2010 के संदर्भ में तीसरे पक्ष की मरम्मत के संबंध में तैयार कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लि प
- बकाया देय राशि के भुगतान पर ही अनुमोदन पत्र प्रदान करें।
- वस्तुओं का आयात केवल मरम्मत और पुनः निर्यात के उद्देश्य से होगा।
- ii. आयातित आभूषणों की मूल पहचान नहीं बदलेगी। iii. मरम्मत आवंटित परिसर के भीतर की जाएगी

iv. मरम्मत के लिए आयात किए जाने वाले और अंततः नि● र्यात किए जाने वाले आभूषणों का उचित विस्तृत विवरण सीमा शल्क को दिया जाएगा।

v. पहचान स्थापित करने के लिए आयात के साथ-साथ निर्य ात के समय सीप्ज़ सीमा शुल्क द्वारा 100% जांच की जा एगी।

vi. गतिविधि दिनांक 25.03.2008 के एलओए के संबंध में निर्यात के पिछले वर्ष के एफओबी मूल्य के 5% तक सीमि त रहेगी।

 vii. सेज़ अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उसके तहत बनाए गए आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
 viii. दी गई अनुमति समीक्षा के अधीन होगी।

- Specified Officer, SEEPZ-SEZ to furnish a report on the devised implementation w.r.t. Third Party Repair in terms of Instruction No. 51 dated 25.03 .2010.
- Grant approval letter only on clearance of outstanding dues.
- The import of the items will only be for the purpose of repairs and re-export only.
- The basic identity of the jewellery imported shall n ot change.
- The repairs will be carried out within the allotted pr emises

Proper detailed description of the jewellery to be i mported for repairs and eventually exported shall b e given to the Customs.

- 100% examination shall be carried by SEEPZ Cust oms at the time of imports as well as exports of the same to establish identity
- The activity will be restricted to 5% of previous ye ar FOB value of export in respect of LOA dated 2 5.03.2008.
- The provisions of SEZ Act, Rules and order made thereunder shall be complied.
- The permission granted will be subject to review.

कार्यसूची मद सं. 6: तीसरे पक्ष की मरम्मत की अनुमति <u>Agenda Item No. 6: Application received fro</u> m M/s. Luxury Jewelry (India) Private Limite के लिए मेसर्स लक्ज़री ज्वेलरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटे d for permission for Third Party Repair ड से प्राप्त आवेदन

यूनिट ने एजेंडे में दिए गए विवरण के अनुसार तीसरे पक्ष की मरम् The unit submitted application for permission for T hird Party Repair as per the details given in agenda. मेंत की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

उद्देश्य से होगा।

ii. आयातित आभूषणों की मूल पहचान नहीं बदलेगी। iii. मरम्मत आवंटित परिसर के भीतर की जाएगी

iv. मरम्मत के लिए आयात किए जाने वाले और अंततः नि र्यात किए जाने वाले आभूषणों का उचित विस्तृत विवरण • सीमा शल्क को दिया जाएगा।

v. पहचान स्थापित करने के लिए आयात के साथ-साथ निर्य• ात के समय सीप्ज़ सीमा शुल्क द्वारा 100% जांच की जा एगी।

ví. गतिविधि दिनांक 25.03.2008 के एलओए के संबंध में निर्यात के पिछले वर्ष के एफओबी मूल्य के 5% तक सीमि[®] त रहेगी।

vii, सेज़ अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उसके तहत बनाए गए आदेश का अन्पालन किया जाएगा।

viii. दी गई अनुमति समीक्षा के अधीन होगी।

- i. वस्तओं का आयात केवल मरम्मत और पुनः निर्यात के. The import of the items will only be for the purpose of repairs and re-export only.
 - The basic identity of the jewellery imported shall n ot change.
 - The repairs will be carried out within the allotted pr emises

Proper detailed description of the jewellery to be i mported for repairs and eventually exported shall b e given to the Customs.

100% examination shall be carried by SEEPZ Cust oms at the time of imports as well as exports of the same to establish identity

- The activity will be restricted to 5% of previous ye ar FOB value of export in respect of LOA dated 2 5.03.2008.
- The provisions of SEZ Act, Rules and order made thereunder shall be complied.
- The permission granted will be subject to review.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्देश संख्या 51 दिनांक Decision: After deliberation, the Committee approv ित के अनुपालन के अधीन तीसरे पक्ष की मरम्मत के प्रस्ताव ed the proposal for Third Party Repair subject to co को मंजूरी दे दी। 01/2010 दिनांकित सार्वजनिक सूचना संख्या mpliance of Instruction no. 51 dated. 25.03.2010 rea 01/2010 के साथ पढ़ा गया। समिति ने दिनांक 08.04.2010 d with Public Notice no. 01/2010 dated. 08.04.2010 को इस आशय का शुद्धिपत्र और दिनांक 26.04.2010 को इस and a corrigendum to that effect on 26.04.2010 and आशय का शुद्धिपत्र प्रस्तुत किया और समिति ने विनिर्दिष्ट अधिक Committee also directed Specified Officer, SEEPZ-S ारी, एसईईपीजेड-एसईजेड को निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.0 EZ to furnish a report on the devised implementatio ास, एसइइपाजड-एसइजड का ानदश संख्या 51 ादनाक 25.0 n w.r.t. Third Party Repair in terms of Instruction N 3.2010 के संदर्भ में तृतीय पक्ष मरम्मत के संबंध में तैयार किए o. 51 dated 25.03.2010. गए कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया.

कार्यसूची म<u>द सं. 7:</u> मेसर्स जिनाई ज्वेल्स प्राइवेट लिमि Agenda Item No. 7 : Application received for टेड के निदेशक मंडल और शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन Change in Board of Directors and Sharehold ing Pattern of M/s. Jinai Jewels Private Limi के लिए प्राप्त आवेदन ted

मेसर्स.जिनाई ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए आवेदन जमा किया था और विवरण इस प्रकार हैं:

M/s. Jinai Jewels Private Limited had submitted t he application for Change in Shareholding Pattern of the company and the details are as follows:

<u>निदेशकों की सूची</u> LIST OF DIRECTORS

,

क्रमांक Sr. No	निदेशकों का नाम (तत्कालीन) Name of Dir ectors (Erst while)	Designation			पदनाम Designation
1	श्री पराग नवीन भाई शाह Mr. Parag Nav n Bhai Shah	Whole time Di	1	श्री नरेश मंगनमल साधवानी Mr. Naresh Manganm al Sadhwaní	पूर्णकालिक निदेशक Whole time Director
2	श्रीमती प्रियाल परा ग शाह Mrs. Priyal Par ag Shah	Managing Dire	2	श्री ईशान नरेश साधवानी Mr. Ishan Naresh Sa dhwani	
			3	श्रीमती प्रियाल पराग शाह Mrs. Priyal Parag Sha h	निदेशक Director

<u>पूर्व-शेयरधारिता पैटर्न</u> PRE-SHAREHOLDING PATTERN

Sr. No.	Change of Shareho	10/- प्रत्येक	% of Shareholding	कीमत Value
1.	श्री पराग नवीन भाई शाह Mr. Parag Navn Bhai Shah	1319900	87.99%	1,31,99,000
2.	श्रीमती प्रियाल पराग शाह Mrs. Priyal Parag Sha h	180100	12.01%	18,01,000
	कुल Total	1500000	100.00%	1,50,00,000

<u> शेयरधारिता के बाद का पैटर्न</u>

POST-SHAREHOLDING PATTERN

Sr. No.		या10/- प्रत्येक No. of Shares of	% of Shareholding	कीमत Value
1.	श्री नरेश मंगनमल साधवान ी Mr. Naresh Mangan mal Sadhwani		87.99%	1,31,99,000
2.	श्री ईशान नरेश साधवानी Mr. Ishan Naresh S adhwani	180100	12.01%	18,01,000
	कुल Total	1500000	100.00%	1,50,00,000

<u>निर्णय</u>: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने दिनांक 18.10.2021 <u>Decision</u>: After deliberation, the Committee appro के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में ved the proposal for Change in Shareholding Patter परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने य n of the company in terms of Instruction no 109, da निट को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के संदर्भ ted 18.10.2021. Further, the Committee also directe में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन करने का भी निर्देश दिय ा का of Instruction no. 109, dated 18.10.2021 :

 परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्व ों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
 परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि स

हित लागू सभी पात्रता मानदडों को पूरा करना।

 सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, ह स्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

4. इक्विटी/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांत

रण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आई टी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिक रण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।

5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, वि भाजन,एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/ हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनिय म, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा।

6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।

7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्ध ारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

 आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

- 1. Seamless continuity of the SEZ activities wit h unaltered responsibilities and obligations f or the altered entity.
- 2. Fulfilment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the alter ed entity and its constituents.
- **3.** Applicability of and compliance with all Reven ue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules wh ich regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
- 4. Full financial details relating to change in eq uity/merger, demerger, amalgamation or tran sfer in ownership etc. shall be furnished imm ediately to Member (IT&R), CBDT, Departmen t of Revenue and to the jurisdictional Authori ty.
- 5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerg er, amalgamation, transfer and ownerships et c. as may be applicable and eligibility for ded uction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
- 6. The applicant shall comply with relevant Stat e Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
- The applicant shall furnish details of PAN an d jurisdictional assessing officer of the unit t o CBDT.
- $\mathbf{8}$, The applicant shall be recognized by the new

कार्यसूची मद सं. 08: कंपनी के निदेशक मंडल और शेय <u>AgendHarte fir Nycharkan</u> शिर्मा होत ell the action रधारिता पैटर्न में बदलाव के लिए मेसर्स सुपरजेम्स ज्वेलर M/s. Supergems Jewellery Manufacturing Pvt ी मैन्युफैक्वरिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त आवेदन hareholding Pattern of the Company

मेसर्स. सुपरजेम्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कंप M/s. Supergems Jewellery Manufacturing Pvt. Ltd h नी के निदेशक मंडल और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के लिए ad submitted the application for change of Board of आवेदन प्रस्तुत किया था। विवरण इस प्रकार हैं: Directors and Shareholding Pattern of the Company The details are as follow :

परिवर्तन पूर्व निदेशकों की सूची

List of Directors Pre Changes

τ

क्रमांक	निदेशकों का नाम	पता	डिन नंबर	जन्म तारीख	पैन नंबर
Sr. No.	Name of Direct		DIN No.	Date of Birth	PAN NO.
SI. NU.	ors	nuu coo		Date of Ditta	
1		शांति निवास, तीसरा	00142223	15.02.1938	ANIPS2043N
*	बालाल शाह	तल, 269, देवधर रो			
		ड, माटुंगा (सी.आर.),			
	Mr. Nikhilkuma				
	r Ambalal Shah	1,142-400015			
		Shanti Niwas,		5 5	
		3 rd Floor, 269,			
		Deodhar Road,			
		Matunga (C.R.),			
		Mumbai-40001			
		9			
2	श्री अनुज प्रबोध शाह	10, बीच व्यू, चौथा त	00152565	14.07.1974	ALTPS3529E
-	Mr. Anuj Prabo	ल, चौपाटी सीफेस, मुं			
	dh Shah	बई-400007			
		10, Beach View,			
		4 th Floor, Chow			
		patty Seaface,			
		Mumbai-40000			
		7			
3		फलैट नंबर 20, 5वां	06430319	05.04.1966	AMYPS7529Q
1	E I III	तल, आकाशदीप रोड,			
	Mr. Paresh Hir alal Shah	मालाबार हिल, मुंबई-			
		400006, महाराष्ट्र,			
		भारत			
		Flat No.20, 5 th			
		Floor, Akashde ep Road, Mala			
		bar Hill, Mumb			
		ai-400006, Mah			
		arashtra, India			
परिवर्तन के बाद निदेश	कों की सूची	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	<u>s Post Changes</u>				
ļ		h 		जन्म तारीख	पैन नंबर
क्रमांक	निदेशकों का नाम	पता Addroop	डिन नंबर DIN No.	אריין מונוש	PAN NO.
Sr. No.	Name of Direct	Address		Date of Birth	
		10, बीच व्यू, चौथा त	00152565	14.07.1974	ALTPS3529E
1	সা অনুগ সন্ধান বাহ	ल, चौपाटी सीफेस, मु	00102000	17.07.1977	1111 000200
1		बई-400007			
	Mr. Anuj Prabo	92-1+00007			
	dh Shah	10, Beach View,			
		4 th Floor, Chow			
		patty Seaface, Mumbai-40000			
		7			-
1		11	<u> </u>	I	<u> </u>



	श्री परेश हीरालाल शा	फ्लैट नंबर 20, 5वां 06430319	05.04.1966	AMYPS7529Q
		तल, आकाशदीप रोड,		
		मालाबार हिल, मुंबई-		
		400006, महाराष्ट्र,		
	Mr. Paresh Hir	भारत		
	alal Shah			
		Flat No.20, 5 th		
		Floor, Akashde		
		ep Road, Mala		
		bar Hill, Mumb		
		ai-400006, Mah		
		arashtra, India		
	श्री दर्शक जयेश शाह	ए-206, श्री शक्ति कॉ ⁰⁷⁹³⁵⁶³⁴	15.03.1983	BDOPS2315A
		म्प्लेक्स, एस.वी. रोड		
		दहिसर पूर्व, मानव क		
		ल्याण केंद्र के पास, मुं		
	Mr. Darshak Ja			
	yesh Shah	बई-400068		
		A-206, Shi Sha		
		kti Complex, S.		
		V. Road Dahisa		
		r East, near Ma		
		nav Kalyan Ken		
		dra, Mumbai-40		
		0068		
1	निकुंज भरत कुमार घ	54-बी, फणसवाड़ी, ग 07761916	10.03.1980	AEMPG0155N
	वाला	ौरक्षक चॉल, आर		
		नंबर 23-24, मुंबई-4		
	Nikunj Bharatk			
	umar Gheewala	a		
		54-B, Fanaswad		
		i, Gaurakshak		
		Chawl, R No.23		
		-24, Mumbai-40		
		0002		l
देनांक 31.03.20	23 को शेयर होल्डिंग पैट	र्न यानी शेयरहोल्डिंग पैटर्न में पूर्व परिव	तेन	
		.03.2023 i.e. Pre Change in	the Ober holding n	attown

 \cap 2

t 1

शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों की दर	राशि रुपये में
Name of Share Holders	No. of Shares	Rate/Sh.	
इक्विटी शेयर पूंजी			Amount in Rs.
Equity Share Capital			
श्री निखिलकुमार ए शाह (01-9	99	10	990
9))			
Mr. Nikhilkumar A Sha			
h(01-99)			10
श्री परेश एच शाह (100-100) Mr. Paresh H Shah (10	1	10	10
0-100)			
श्री राजेश वी मेहता (एनआरआई)	10100	10	1,01,000
(101-10200)			
Mr. Rajesh V Mehta (N RI) (101-10200)			
सुपर जेम्स (आई) प्रा. लिमिटेड-	52,98,555	10	5,29,85,550
भारत (10201-5308755)			
Supergems (I) Pvt. Ltd- India (10201-5308755)			-
कुल Total	53,08,755		5,30,87,550
	। होल्डिंग पैटर्न यानी शेयरहोल्डिंग पै	। टर्न में परिवर्तन के बाद	
Share holding pattern a	s on 10.08.2023 i.e. Pos	t Change in the Shareh	olding pattern
शेयरधारकों का नाम Name of Share Holders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरों की दर Rate/Sh.	राशि रुपये में Amount in Rs.
Equity Share Capital इक्विटी शेयर पूजी	no. or phares		
श्री परेश एच शाह (01-99))	99	10	990
Mr. Paresh H Shah (01 -99)	- - -		
- <u>-</u>	1	10	10
Mr. Paresh H Shah (10 0-100			
श्री राजेश वी मेहता (एनआरआई)	10100	10	1,01,000
(101-10200)			
Mr. Rajesh V Mehta (N RI) (101-10200)			
सुपरजेम्स (आई) प्रा. लिमिटेड-	52,98,555	10	5,29,85,550
भारत (10201-5308755)			
Supergems (I) Pvt. Ltd- India (10201-5308755)			
कुल	53,08,755		5,30,87,550
			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

मंडल और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के लिए यूनिट के प्रस्ताव rd of Directors and Shareholding Pattern of the 0.2021 के निर्देश संख्या 109 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया:-

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I के दिनांक 18. <u>Decision</u>: After deliberation, the Committee app 10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के निदेशक roved the proposal of the unit for change of Boa Company in terms of MOC&I Instruction no. 10 मडल आर शवरधारता पटन न प्रति न यूनिट को दिनांक 18.1 Company in terms of moccos find a committee als को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति न यूनिट को दिनांक 18.1 9 dated 18.10.2021. Further, the Committee als o directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction no. 109, date d 18.10.2021:-

1. परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईज़ेंड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।

2. परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सह ित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।

3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्र योज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्त ांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

4. इक्विटी/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतर

ण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।

5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विभा जन,एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 196 1 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकल न करने का अधिकार होगा।

 आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो

7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धार ण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से प हचाना जाएगा।

- 1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and oblig ations for the altered entity.
- 2. Fulfillment of all eligibility criteria applic able, including security clearances etc, b y the altered entity and its constituents.
- **3.** Applicability of and compliance with all R evenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/ Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
- 4. Full financial details relating to change i n equity/merger, demerger, amalgamatio n or transfer in ownerships etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R) , CBDT, Department of Revenue and to t he jurisdictional Authority.
- 5. The Assessing Officer shall have the righ t to assess the taxability of the gain/los s arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under releva nt sections of the Income Tax Act, 1961.
- 6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
- 7. The applicant shall furnish details of PA N and jurisdictional assessing officer of t he unit to CBDT.
- 8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

#### कार्यसूची मद सं. 09: भागीदारों के लाभ साझाकरण अनुम Agenda Item No. 09 : Application of M/s. H. ात में बदलाव के लिए मेसर्स एचके डिज़ाइन्स (इंडिया) ए sharing ratio of Partners. लएलपी का आवेदन

मेसर्स एच.के. डिज़ाइन्स (इंडिया) एलएलपी ने भागीदारों के लाभ M/s. H.K. Designs (India) LLP had submitted the साझाकरण अनुपात में बदलाव के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। कंपनी के साझेदारों के लाभ साझाकरण अनुपात का विवरण इस प्र ners of the Company are as under:

#### <u>क) पहले और बाद में लाभ विभाजन अनुपात का विवरण</u> Details of Pre & Post profit sharing ratio : -

क्रमांक Sr. No.	भागीदारों के नाम Name of Partners	शेयरोंका% % Shares	क्रमांक Sr.No.	भागीदारों के नाम Name of Partners	शेयरों का % % Shares
1	श्री. सावजीभाई डी. ढोलकिया Shri. Savjibhai D. Dhola kia	22%	1.	श्री. सावजीभाई डी. ढोलकिया Shri. Savjibhai D. Dhola kia	34%
2	श्रीघनश्यानभाई डी. ढोलकिया Shri. Ghanshyambhai D. Dholakia	21%	2.	श्रीघनश्यामभाई डी. ढोलकिया Shri. Ghanshyambhai D. Dholakia	33%
3	श्री. हसमुखभाई ठाकरशीभाई ढोलकिया - प्रतिनिधि हरि कृष्ण एक्सपोर्ट प्रा. लि मिटेड Shri. Hasmukhbhai Th akarshibhai Dholakia- Rep. Hari Kirshna Exp ort Pvt. Ltd.		3.	श्री. हसमुखभाई ठाकरशीभाई ढोलकि या - प्रतिनिधि हरि कृष्ण एक्सपोर्ट प्रा . लिमिटेड Shri. Hasmukhbhai Th akarshibhai Dholakia- Rep. Hari Kirshna Exp ort Pvt. Ltd.	
4	श्री. पिंटू तुलसीभाई ढोलकिया Shri. Pintu Tulsibhai D holakia	2%	4.	श्री. पिंटू तुलसीभाई ढोलकिया 3% Shri. Pintu Tulsibhai Dholakia	
5	श्री. पराग ए शाह Shri. Parag A. Shah	4%	5.	श्री. पराग ए शाह Shri. Parag A. Shah	4%
कुल		100%		कुल	100%

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I के दिनांक 18 .10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के लाभ सा झाकरण अनुपात में बदलाव के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने यूनिट को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनु पालन करने का भी निर्देश दिया:-

 परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।

 परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सह ित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।

3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्र योज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्त ांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

4 इक्विटी/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतर

ण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी

एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तरंत प्रस्तुत किया जाएगा।

5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विभा जन,एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 196 1 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकल न करने का अधिकार होगा।

 6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो

7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धार ण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

 आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से प हचाना जाएगा। **Decision**: After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for Change in profit Sharing ratio of the Company in terms of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021 . Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in term s of Instruction no. 109, dated 18.10.2021:-

- 1. Seamless continuity of the SEZ activities wi th unaltered responsibilities and obligation s for the altered entity.
- 2. Fulfillment of all eligibility criteria applicabl e, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.
- **3.** Applicability of and compliance with all Reve nue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, eq uity change, transfer, taxability etc.
- 4. Full financial details relating to change in e quity/merger, demerger, amalgamation or tr ansfer in ownerships etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Depa rtment of Revenue and to the jurisdictional Authority.
- 5. The Assessing Officer shall have the right t o assess the taxability of the gain/loss aris ing out of the transfer of equity or merger d emerger, amalgamation, transfer and owner ships etc. as may be applicable and eligibilit y for deduction under relevant sections of t he Income Tax Act, 1961.
- 6. The applicant shall comply with relevant Sta te Government laws, including those relatin g to lease of land, as applicable.
- The applicant shall furnish details of PAN a nd jurisdictional assessing officer of the uni t to CBDT.
- 8. The applicant shall be recognized by the ne w name or such arrangement in all the reco

	"Agenda Item No. 10 : Application received f
कायसूचा मद स. 10: कपना क सावधान का मसस्	<u>अरीना Agenda Item No. 10 : Application received f</u>
ज्वैलरी से मेसर्स अरीना ज्वैलरी एलएलपी में बदलन	<u>अर्(ना)</u> के लि or Change of the company constitution from <u>M/s Arina Jewellery to M/s. Arina Jeweller</u>
<u>ए आवेदन प्राप्त हुआ।</u>	v LLP.

मेसर्स अरीना ज्वैलरी ने कंपनी के संविधान को मेसर्स अरीना ज्वैल M/s Arina Jewellery had submitted the application री से मेसर्स अरीना ज्वैलरी एलएलपी में बदलने के लिए आवेदन प्र for Change of the company constitution from M/s स्तुत किया था और बताया था कि कंपनी के संविधान में बदलाव के Arina Jewellery to M/s. Arina Jewellery LLP. They have informed that the reasons of change of consti tution of the company are as under:

والمحادق والمتكبر المتراج محاليه وحاداتها

 फंडिंग के अवसरों तक पहुंच: एलएलपी के रूप में काम करने से बाहरी निवेश आकर्षित करने और सुरक्षित वित्तपोषण की उनकी क्ष मता बढ़ सकती है।

विशिष्ट कानूनी संरचना और सीमित देयता स्थिति अक्सर एलएलपी को संभावित निवेशकों और उधारदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाती है।

2) सीप्ज़ में उनकी स्थापित उपस्थिति और घरेलू बाजार में विस्तार के आलोक में, एलएलपी में परिवर्तन उभरते व्यावसायिक परिदृश्यों के अनुकूल होने और उनकी प्रतिस्पधत्मिकता को बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह कदम विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय विवेकशीलता सुनिश्चित करने और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में अरीना ज्वेलरी की स्थिति को मजबूत करने के प्रति उन के समर्पण का संकेत है।

3) कंपनी के भागीदार और उसके लाभ साझाकरण अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा।

- Access to Funding Opportunities: Operating as an LLP may enhance their ability to attra ct external investments and secure financin g. The distinct legal structure and limited li ability status often make LLPs more appealing ng to potential investors and lenders.
- 2. In light of their established presence in SE EPZ and the expansion into the domestic m arket, the transition to an LLP aligns with t heir commitment to adapt to evolving busin ess landscapes and enhance their competiti veness. This move is indicative of their dedi cation to fostering growth, ensuring financia l prudence, and fortifying Arina Jewellery's p osition in both local and international mark ets.
- 3. There will be no change in the Partners & h is profit Sharing ratio of the company.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I के दिनांक 18 Decision : After deliberation, the Committee app .10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के संविधान को मेसर्स अरीना ज्वेलरी से मेसर्स अरीना ज्वेलरी एलएलपी में बद mpany constitution from M/s Arina Jewellery to M लने के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, सम /s. Arina Jewellery LLP of the Company in terms of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021. F िति ने यूनिट को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी पारीकर, the Committee also directed the Unit to co mply with the following safeguards in terms of Inst ruction no. 109, dated 18.10.2021:-

 परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।

2. परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सह ित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।

3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्र योज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्त ांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

 इक्विटी/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतर ण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी)

एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तरत प्रस्तुत किया जाएगा।

5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विभा जन,एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 196 1 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकल न करने का अधिकार होगा।

 आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो

 7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धार ण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

 आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से प हचाना जाएगा। 1. Seamless continuity of the SEZ activities wi th unaltered responsibilities and obligation s for the altered entity.

 Fulfillment of all eligibility criteria applicabl e, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.

- 3. Applicability of and compliance with all Reve nue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, eq uity change, transfer, taxability etc.
- 4. Full financial details relating to change in e quity/merger, demerger, amalgamation or tr ansfer in ownerships etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Depa rtment of Revenue and to the jurisdictional Authority.
- 5. The Assessing Officer shall have the right t o assess the taxability of the gain/loss aris ing out of the transfer of equity or merger d emerger, amalgamation, transfer and owner ships etc. as may be applicable and eligibilit y for deduction under relevant sections of t he Income Tax Act, 1961.
- 6. The applicant shall comply with relevant Sta te Government laws, including those relatin g to lease of land, as applicable.
- 7. The applicant shall furnish details of PAN a nd jurisdictional assessing officer of the uni t to CBDT.
- 8. The applicant shall be recognized by the ne w name or such arrangement in all the reco rds.

कार्यसूची मद सं. 11: कंपनी का नाम मेसर्स चेरोकी इंडिया Agenda Item No. 11 : Application प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स ओमनियन पावर मुंबई प्राइवेट name from M/s. Cherokee India Private लिमिटेड में बदलने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। Dimited to M/s. Omnion Power Mumbai Private Limited.

मेसर्स चेरोकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी का नाम मेसर्स चेरोकी

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स ओमनियन पावर मुंबई प्राइवेट M/s. Cherokee India Private Limited had राज्या प्राइपट ाणामटड ल मलल जामानयन पावर मुंबई प्राइपट प्रकार submitted the application to Change Name of लिमिटेड में बदलने के लिए आवेदन दिया था। कंपनी के परिवर्तित नाम the Company from M/s. Cherokee India Private का विवरण इस प्रकार है: Limited to M/s. Omnion Power Mumbai Private

Limited. The details of in Change Name of the Company are as under:

कंपनी का नाम बदलने से पहले और बाद में निदेशकों का विवरण : DETAILS OF DIRECTORS BEFORE AND AFTER OF CHANGE OF COMPANY NAME

क्रमांक Sr. No.	निदेशकों की सूची	cors of M/s.	मेसर्स ओमनियन पावर मुंबई प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित निदेशकों की सूची Propose Proposed Directors of M/s. Omnion Power Mumbai Private Limited.		
1	निदेशकों के नाम से पहले Before Name of the Directors	1	निदेशकों के नाम के बाद After Name of the Directors	पदनाम Designation	
2	Mr. Prakashkumar	प्रबंध निदेशक Managing Directors	श्री प्रकाशकुमार रामभाई पटेल Mr. Prakashkumar Rambhai Patel		
3	श्री दिनेश श्रीनिवास कोटियन Mr. Dinesh Shrinivas Kotian	Whole Time	Mr. Dinesh Shrinivas	पूर्णकालिक निदेशक Whole Time Directors	

कंपनी का नाम बदलने से पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न का विवरण BEFORE AND AFTER CHANGE OF THE DETAILS OF SHAREHOLDING PATTERN COMPANY NAME

पैटर्न से पहले		ग मेसर्स ओमनियन पावर मुंबई प्राइव शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बाद After Shareholding Patter	n of M/s.
Before Shareholding Cherokee India, Priva	te Limited	. Omnion Power Mumbai Priva	
व्यक्ति का नाम	% शेयर	व्यक्ति का नाम	% शेयर
Name of Person	% Shares	Name of Person	% Shares
ओमनियन पावर इंक. Omnion Power Inc.	99.95 %	ओमनियन पावर इंक.	99.95 %
प्रकाशकुमार पटेल Prakashkumar Patel	0.05	प्रकाशकुमार पटेल	0.05
<b>То कुल</b>	100 %	T कुल	100 %

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I दिनांक 18.10.2021 Decision : After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit to Change के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी का नाम मेसर्स चेरोकी इंडिया Name of the Company from M/s. Cherokee प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स ओमनियन पावर मुंबई प्राइवेट लिमिटेड में India Private Limited into M/s. Omnion Power बदलने के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति Mumbai Private Limited in terms of MOC&I ने यूनिट को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के संदर्भ में Instruction no. 109 dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of

 परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईज़ेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।

2. परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।

3 सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

4. इक्विटी/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।

5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विभाजन,एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा।

6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।

 7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.

Instruction no. 109, dated 18.10.2021:

- Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.
- 3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
- 4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownerships etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
- 5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
- 6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
- 7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.
- 8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

कार्यसूची मद सं. 12: 2 वर्ष यानी 2020-21 और 2021-22 Agenda Item No. 12: Monitoring of<br/>Performance of M/s. Portescap India<br/>Performance of M/s. Portescap India<br/>(Edux मोटर्स) (एलओए-एचडब्ल्यू-1 4) के प्रदर्शन की for the period of 2 years i.e. 2020-21 &<br/>2021-22विगरानी2021-22

The unit has submitted the APR for the period 2020-21 & 2021-22 duly certified by Chartered 2020-21 & 2021-22 duly certified by Chartered 3020-21 & 2021-22 duly certified by Chartered 3020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात कर दिया है। वर्ष period 2020-21 & 2021-22 was retrieved from 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को NSDL for cross verification with data एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए submitted by them in the APR and same has एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया been found satisfactory. है।

<u>Decision</u>: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the **निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 period 2020-21 & 2021-22, as the unit had की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ achieved positive NFE on cumulative basis in नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. एनएफई हासिल किया था।

> The Committee also directed :-The unit to clear the outstanding dues Rs. 39,89,743.21/-, at the earliest.

समिति ने यह भी निर्देश दिया:-

i ) यूनिट को बकाया राशि रु. 39,89,743.21/- का भुगतान यथाशीघ्र करना होगा।

#### <u>कार्यसूची मद सं. 13: 2 वर्ष यानी वर्ष 2020-21 और 2021-</u> <u>Agenda Item No. 13: Monitoring of</u> <u>22 अवधि के लिए मेसर्स पोर्टेस्केप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Performance of M/s. Portescap India</u> (डीसी मोटर्स) (एलओए-590) के प्रदर्शन की निगरानी <u>Pvt. Ltd (DC Motors) (LOA-590) for the</u> <u>period of 2 years i.e. 2020-21 & 2021-22</u>

यूनिट ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए चार्टर्ड 2020-21 & 2021-22 duly certified by Chartered अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष Accountant. The export and import data for the 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को period 2020-21 & 2021-22 was retrieved from एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए NSDL for cross verification with data एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

<u>Decision:</u> After deliberation, the Committee निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 noted the performance of the unit for the की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ period 2020-21 & 2021-22, as the unit had नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक achieved positive NFE on cumulative basis in एनएफई हासिल किया था।

The Committee also directed; -समिति ने यह भी निर्देशित किया;-) यूनिट को बकाया राशि रु. 41,52,350.03/- का भुगतान यथाशीघ्र ^{41,52,350.03/-}at the earliest.

### <u>कार्यसूची मद सं. 14: 1 वर्ष यानी 2022-23 की अवधि के Agenda Item No. 14: Monitoring of</u> लिए मेसर्स ओमनिया ज्वेल्स एलएलपी के प्रदर्शन की <u>for the period of 1 year i.e. 2022-23</u> निगरानी

The unit has submitted the APR for the period 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. यूनिट ने वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा The export and import data for the period 2022-विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2022-23 की 23 was retrieved from NSDL for cross अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा APR and same has been found satisfactory. प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

period 2022-23, as the unit had achieved निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2022-23 की अवधि के positive NFE on cumulative basis in terms of लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।

The Committee also directed; -

समिति ने यह भी निर्देशित किया;-

 विनिर्दिष्ट अधिकारी 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू करेंगे।

। . यूनिट को बकाया राशि रु. 1,35,662.93/- को भुगतान यथाशीघ्र करना होगा।  The Specified Officer to initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2022-23.

Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the

ii. The unit to clear the outstanding dues Rs. 1,35,662.93/- at the earliest.

# कार्यसूची गद सं. 15: 2 वर्ष यानी 2020-21 और 2021-22 Agenda Item No. 15: Monitoring of की अवधि के लिए मेसर्स नाभि एंटरप्राइजेज के प्रदर्शन की for the period of 2 years i.e. 2020-21 & 2021-22 निगरानी 2021-22

The unit has submitted the APR for the period यूनिट ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अबधि के लिए चार्टर्ड 2020-21 and 2021-22 duly certified by अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष Chartered Accountant. The export and import 2020-21 और 2021-22 की अबधि के लिए निर्यात और जायात डेटा को data for the period 2020-21 & 2021-22 was 2020-21 और 2021-22 की अबधि के लिए निर्यात और जायात डेटा को retrieved from NSDL for cross verification with एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए data submitted by them in the APR and same एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया has been found satisfactory. है।

Decision: After deliberation, the Committee निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 noted the performance of the unit for the की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ achieved positive NFE on cumulative basis in नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. एनएफई हासिल किया था।

The Committee also directed; -

समिति ने यह भी निर्देशित किया;-

i. विनिर्दिष्ट अधिकारी 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू करेंगे।

ii. यूनिट को दिनांक 18.01.2024 तक बकाया राशि रु. 1,63,201.96/-का भगतान यथाशीघ्र करना होगा।

- The Specified Officer to initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2021-22.
- 11. The unit to clear the outstanding dues Rs. 1,63,201.96/- as on 18.01.2024, at the earliest.

#### कार्यसूची मद सं. 16: 1 वर्ष यानी 2021-22 की अवधि के <u>Agenda Item No. 16: Monitoring of</u> लिए मेसर्स केपी सांघवी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के <u>Performance of M/s. KP Sanghvi</u> प्रदर्शन की निगरानी <u>International Private Limited for the</u> <u>period of 1 year i.e. 2021-22</u>

The unit has submitted the APR for the period

2021-22 duly certified by Chartered Accountant. यूनिट ने वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा The export and import data for the period 2021-विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2021-22 की 22 was retrieved from NSDL for cross अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा verification with data submitted by them in the प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त APR and same has been found satisfactory. किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the noted the performance of the unit for the period 2021-22, as the unit had achieved लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ नियम, 2006 positive NFE on cumulative basis in terms of के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल Rule 54 of SEZ Rules 2006. किया था।

ξ.
<u>Agenda Item No. 17: Monitoring of</u>
Performance of M/s. KP Sanghvi
<u>कार्यसूची मद सं. 17: 1 वर्ष यानी 2022-23 की अवधि के International Private Limited for the</u>
लिए मेसर्स केपी सांघवी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के period of 1 year i.e. 2022-23
प्रदर्शन की निगरानी The unit has submitted the APR for the period
2022-23 duly certified by Chartered Accountant.
यूनिट ने वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा 23 was retrieved from NSDL for cross विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2022-23 की verification with data submitted by them in the अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा APR and same has been found satisfactory. प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है। <u>Decision:</u> After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the
period 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2022-23 की अवधि के Rule 54 of SEZ Rules 2006
लिए यानट के प्रदेशन की नाट किया, क्यांक यूगिद ने राज गिनन, 2000
के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल

किया था।

# <u>कार्यसूची मद सं. 18: 2 वर्ष यानी 2021-22 और 2022-23 Agenda Item No. 18: Monitoring of</u> <u>की अवधि के लिए मेसर्स सनज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन for the period of 2 years i.e. 2021-22 &</u> की निगरानी <u>2022-23</u>

यूनिट ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड The unit has submitted the APR for the period अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष Accountant. The export and import data for the 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को period 2021-22 & 2022-23 was retrieved from एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए NSDL for cross verification with data एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

<u>Decision:</u> After deliberation, the Committee निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 noted the performance of the unit for the की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ period 2021-22 & 2022-23, as the unit had नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक achieved positive NFE on cumulative basis in एनएफई हासिल किया था।

समिति ने यह भी निर्देशित किया;-

 विनिर्दिष्ट अधिकारी 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू करेंगे।

The Committee also directed; -

 The Specified Officer to initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2021-22 & 2022-23.

 भूनिट को दिनांक 23.01.2024 तक बकाया राशि रु. 6,74,455.66/-का भगतान यथाशीघ्र करना होगा।

The unit to clear the outstanding dues Rs. 6,74,455.66/- as on 23.01.2024, at the earliest.

#### <u>कार्यसूची मद सं. 19: 2 वर्ष यानी 2021-22 और 2022-23 Agenda Item No. 19 : Monitoring of</u> की अवधि के लिए मेसर्स हयूरिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड Pertormance of M/S. Huits Dyscome की अवधि के लिए मेसर्स हयूरिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड Private Limited for the period of 2 years Performance of M/s. Hurix Systems के प्रदर्शन की निगरानी। 2021-22 & 2022-23.

The unit has submitted the APR for the period यूनिट ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड 2021-22 & 2022-23 duly certified by Chartered यूनिट ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए चारेड Accountant. The export and import data for the analyzed and import data for the analyzed and analyzed and the second एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए submitted by them in the APR and same has एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया been found satisfactory. है।

Decision: After deliberation, the Committee निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 noted the performance of the unit for the की अवधि के लिए युनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि युनिट ने सेज period 2021-22 & 2022-23, as the unit had नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. एनएफई हासिल किया था।

#### <u>कार्यसूची मद सं. 20: 2 वर्ष यानी 2021-22 और 2022-23 Agenda Item No. 20 : Monitoring of</u> की अवधि के लिए मेसर्स गेस्विन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के Performance of M/s. Gesswein Trading की अवधि के लिए मेसर्स गेस्विन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के Private Limited for the period of 2 years प्रदर्शन की <u>निगरानी</u> i.e. 2021-22 & 2022-23

यूनिट ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड The unit has submitted the APR for अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्षthe period 2021-22 & 2022-23 duly certified by 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को Chartered Accountant. The export and import 2021-22 और 2022-23 की अवाध की लिए नियात और आयात डटा की data for the period 2021-22 & 2022-23 was एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ कॉस सत्यापन के लिए retrieved from NSDL for cross verification with एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया data submitted by them in the APR and same है। has been found satisfactory.

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2021-22 और 2022-23<u>Decision:</u> After deliberation, the Committee नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. एनएफई हासिल किया था।

<u>तालिका कार्यसूची सं. 01: निर्यात अनुमानों में सुधार और Table</u> Agenda No. 01 : Application received for Rectification in the Export एसडीएफ-1 से नेस्ट- 01 में स्थानांतरण के बाद आवंटित कुल Projections and Total area allotted after re-location i.e. SDF-I to NEST- 01 क्षेत्र में सधार के लिए प्राप्त आवेदन

स्थानांतरण के बाद आवंटित कुल क्षेत्र लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।

यूनिट ने निर्यात अनुमानों में सुधार और एसडीएफ-I से नेस्ट- 01 में Rectification in the Export Projections and Total area allotted after re-location i.e. SDF-I to NEST-01.

The Proposed Projections on re-location area

स्थानांतरित क्षेत्र (608.76 वर्ग मीटर) नेस्ट-01 पर प्रस्तावित अनुमान (608.76 Sq. mtrs) NEST-01 are as under : इस प्रकार हैं:

	नेस्ट-01 में प्रस्तावित पुनर्वास क्षेत्र (608.76	
Sr. No.	वर्ग मीटर) के लिए कुल अनुमान	
	The Total Projection for	
	Proposed relocation area	
	(608.76 Sq. mtrs) in NEST-01	
	रु करोड़ में अमेरिकी \$ '00	
	Rs. In Lakhs US\$'00	
	<u>^</u>	

1.	निर्यात का एफओबी मूल्य	183727.00	229658.75
	FOB Value of Export		
2.	मशीनरी का आयात	1600.00	2000.00
÷	Import of Machinery		
3.	कच्चे माल और घटकों का आयात	84148.00	105185.00
-	Import of Raw Material and		
	Components		
4.	अप्रयुक्त/प्रयुक्त, नए, टूटे हुए आभूषणों के पुनः	2756.00	3445.00
	निर्माण और पुन: निर्माण का आयात		
	Import of re-making and		
	remanufacturing unused/used,		
	new, broken jewellery goods		
5.	पूर्जों और उपभोग्य सामग्रियों का आयात	140.00	175.00
0,	Import of Spares and		
	Consumables		
6.	विदेशी सहयोगियों को लाभांश और लाभ का	-	
0.	प्रत्यावर्तन		· · · · · · · · ·
	Repatriation of dividends and		
	profit to foreign collaborators		
		: 	
7.	रॉयल्टी		_
	Royalty		
8.	तकनीकी जानकारी एकमुश्त शुल्क		-
~	Lump sum know-how fee		
9.	डिजाइन और ड्राइंग शुल्क		-
	Design and drawing fee		
10.	विदेशी तकनीशियनों का भुगतान	-	
	Payment of foreign technicians		
11.	विदेशों में भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण पर		-
	भुगतान		
	Payment on training of Indian		
	Technicians abroad	010.00	1140 75
12.	निर्यात/छूट विपणन व्यय आदि पर कमीशन	919.00	1148.75
	Commission on export/discount		
	mkting exps etc.		
13.	विदेश यात्रा	184.00	230.00
	Foreign Travel		
14.	विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर भुगतान की जाने	Γ-	-
	वाली ब्याज राशि		
	Amount of Interest to be paid or	1	
	external Commercial borrowings		
15.	आस्थगित भुगतान क्रेडिट पर भुगतान की जाने	r -	-
	वाली ब्याज की राशि		
	Amount of interest to be paid or	1	
	deferred payment credit		
16.	🕖 कोई अन्य भुगतान	460.00	575.00
	Any Other payment		

	(विवरण निर्दिष्ट करें) , प्रदर्शनी, बैंक शुल्क,	-)	-
	सदस्यता, LIVEX आदि) (specify details), Exhibition, Bank Charges, Subscription, LIVEX etc).		
17.	कुल (2 से 16)	90207.00	112758.75
18.	<u>Total (2 to 16)</u> शुद्ध विदेशी मुद्रा आय (1-17)	93520.00	116900.00
	Net Foreign Exchange Earnings (1-17)		

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्यात अनुमानों में सुधार के <u>Decision</u>: After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 608.73 वर्ग मीटर के क्षेत्र को Rectification in the Export Projections and एसडीएफ-। से नेस्ट- 01 में स्थानांतरित कर दिया। areas 608.73 Sq.mtrs on relocation i.e. SDF-I to NEST- 01

बैतक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई। The meeting concluded with a vote of thanks to the chair.

> (राजेश कुमार मिश्रा, आईआरएस**)** अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़

28.02

सी.पी.एस. चौहान / C.P.S. CHAUHAN संयुक्त विकास आयुक्त Joint Development Commissioner सीप्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र SEEPZ Special Economic Zone भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय Govt. of India, Ministry of Commerce and Industry अंधेरी (पूर्व), मुंबई-96 / Andheri (E), Mumbai - 96.